



2026:AHC: 28210-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या- 2537/2015

पंकज जैन

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: देवेन्द्र मोहन सिंह, राम प्रकाश, राम तिवारी, सीमा पांडे, विवेक शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अभिषेक त्रिपाठी, जी.ए., शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-42

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम

1- वर्तमान आपराधिक अपील अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, कानपुर नगर द्वारा सत्र विचारण संख्या 1070 वर्ष 2005 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.5.2015 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 302/34, 394 और 411 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और उसे भा.द.सं. की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास, 10,000/- रुपये का अर्थदंड और व्यतिक्रम की दशा में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास; धारा 394 भा.द.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 10,000/- रुपये का अर्थदंड और व्यतिक्रम की दशा में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास; और धारा 411 भा.द.सं. के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास, 5,000/- रुपये का अर्थदंड और व्यतिक्रम की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलनी थीं।

2- जब प्रथम सूचनादाता ने 16.8.2005 को अपने घर में अपनी पत्नी विशालाक्षी को मृत पाया, तब उसने उसी तिथि को अपराहन 1:15 बजे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई और यह बताया कि घटना प्रातः 9:00 बजे से अपराहन 1:15 बजे के बीच घटित हुई होगी। इसके पश्चात विवेचना प्रारंभ हुई और 5 साक्षियों, यथा पी.डब्ल्यू.-1 के.ए. वेंकटचलम, पी.डब्ल्यू.-2 आनंद वेंकटचलम, अभिषेक तिवारी, जितेंद्र पांडे और एक श्री एस.एल. अलमेरा की उपस्थिति में एक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पंचायतनामा तैयार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ पंचायतनामा पूरा होने पर, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसी बीच, पुलिस ने घटना स्थल से एक मुसल, एक पत्थर और एक ब्लेड एकत्र किया। इस बरामदगी को प्रदर्श का-15 के रूप में प्रदर्शित किया गया। पुलिस द्वारा की गई तलाशी से, सह-अभियुक्त विमल शुक्ला उर्फ राजन शुक्ला के घर से कुछ चोरी की वस्तुएं, यथा सीडी/वीसीडी प्लेयर, 4800 वाट का चार्जर, बैटरी, माउस, पैंट और शर्ट भी बरामद की गईं। घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी और सादी मिट्टी एकत्र की गई। इसके पश्चात, पुलिस ने अपना आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और आरोप-पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय ने 1.9.2007 को अपीलार्थी पंकज जैन के विरुद्ध धारा 302/34 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियोजन के प्रकरण को सिद्ध करने के लिए कुल 7 अभियोजन साक्षी प्रस्तुत किए गए।

3- पी.डब्ल्यू.-1, के.ए. वेंकटचलम, प्रथम सूचनादाता और मृतका के पति थे। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने शव को खोजा और कैसे उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी बताया कि उनके घर की चोरी हुई वस्तुएं सह-अभियुक्त विमल शुक्ला के घर से बरामद की गई थीं। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों का दृढ़ता से समर्थन किया।

4- पी.डब्ल्यू.-2, आनंद वेंकटचलम, प्रथम सूचनादाता और मृतका के पुत्र थे। उन्होंने लगभग वही तथ्य बताए जो पी.डब्ल्यू.-1 द्वारा बताए गए थे। अभियुक्त पंकज जैन की ओर से की गई प्रति-परीक्षा के दौरान भी वह अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों पर अडिग रहे। पी.डब्ल्यू.-2 ने अपनी प्रति-परीक्षा में आगे बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से अभियुक्त को जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि अभियुक्त की ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी। वह उसे इसलिए भी जानते थे क्योंकि वह अपनी गाड़ी में तेल उस पेट्रोल पंप से भरवाते थे, जो उसकी कंपनी के पास स्थित था। उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास था कि पंकज जैन ही वह व्यक्ति था, जिसने विमल शुक्ला के साथ मिलकर उनकी माँ की हत्या की थी।

5- पी.डब्ल्यू.-3 कांस्टेबल राजवीर सिंह हैं, जिन्होंने चिक एफ.आई.आर. को सिद्ध किया।

6- पी.डब्ल्यू.-4, श्रीपाल, मृतका के घर के पास एक ठेले पर विभिन्न वस्तुएं बेचते थे और उन्होंने न्यायालय में कठघरे में अभियुक्त की पहचान की और बताया कि मृतका के घर के सामने उनका ठेला था और वह संबंधित तिथि पर खीरा बेच रहे थे और उन्होंने प्रातः लगभग 10:30 बजे पंकज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जैन को घर से बाहर आते देखा था। सह-अभियुक्त विमल शुक्ला भी उसके साथ था। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में बताया कि जिस घर में मृतका की मृत्यु हुई थी, वह उस ठेले से लगभग 300 मीटर दूर था, जिस पर वह खीरा बेच रहे थे। उन्होंने बताया कि भले ही वह मृतका को खीरा बेचते थे, लेकिन उस विशेष तिथि पर उन्होंने उसे कोई खीरा नहीं बेचा था। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में आगे बताया कि वह पंकज जैन को बहुत लंबे समय से जानते थे और पंकज जैन ट्रांसपोर्ट नगर में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा था। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने कई अन्य अवसरों पर भी पंकज जैन को घर में प्रवेश करते और बाहर आते देखा था।

7- पी.डब्ल्यू.-5 एक राम बहादुर सिंह का कथन है, जिसके बारे में अभिलेख पर आया है कि उन्होंने थाना में सभी तथ्यों का वर्णन करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया था। यह प्रार्थना पत्र पेपर बुक के पृष्ठ 4 पर संलग्न है और अभिलेख में भी पाया जाता है। हालांकि, यह एक बिना तिथि वाला प्रार्थना पत्र है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह स्वदेशी कॉटन मिल्स में एक सुरक्षा गार्ड थे और 16.8.2005 को उनकी ड्यूटी प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक थी और वह संबंधित स्थान पर प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक अपनी ड्यूटी कर रहे थे और क्योंकि जिस स्थान पर मृतका का घर स्थित था, उसके पास कुछ अवैध कब्जा आदि था, इसलिए वह उस तिथि को कब्जा हटवाने गए थे और इसलिए उन्होंने अभियुक्त को सह-अभियुक्त के साथ प्रश्नगत घर से बाहर आते देखा था। यह पी.डब्ल्यू.-5, जिन्होंने पुलिस के सामने बिना तिथि वाला प्रार्थना पत्र दिया था, न्यायालय में प्रस्तुत किए गए और उन्होंने बताया कि वह जूही कानपुर नगर में स्थित स्वदेशी कॉटन मिल परिसर में सुरक्षा गार्ड थे और उन्होंने न्यायालय में ही अभियुक्त पंकज जैन को पहचाना। उन्होंने पुनः वह कारण बताया कि वह घर के पास क्यों गए थे और इसलिए उन्होंने अभियुक्त को घर से बाहर आते देखा था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अभियुक्त को घर से बाहर आते देखा, तो उन्होंने उसे अपने हाथों में चोरी की सभी वस्तुएं ले जाते हुए भी देखा था। उन्होंने सोचा था कि अभियुक्त ने मृतका से अनुमति लेने के बाद वस्तुएं ली थीं। यह साक्षी, हालांकि अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त का नाम लेता है, लेकिन यह प्रकट नहीं करता कि वह अपीलार्थी-अभियुक्त का नाम कैसे जानता था। अपनी प्रति-परीक्षा में, वह अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों पर अडिग रहे, लेकिन पुनः वह केवल उसी बात पर टिके रहे कि उन्होंने अभियुक्त को बाहर आते देखा था। उन्होंने बताया कि जब अभियुक्त घर से बाहर आया था तो वह कुछ चोरी की वस्तुएं ले जा रहा था। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षा में एक बार फिर दोहराया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह संबंधित समय पर संबंधित स्थान पर कैसे उपस्थित थे क्योंकि वह कुछ अतिक्रमण हटाने में सहायता कर रहे थे।

8- पी.डब्ल्यू.-6, डॉ. पीयूष मिश्रा, वह चिकित्सक हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम सिद्ध किया और मृत्यु का कारण बताया। उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि मृत्यु अपराहन 1:15 बजे हुई होगी। हालांकि, अपनी प्रति-परीक्षा में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि चोट किसी कुंद भारी वस्तु से पहुंचाई गई होगी।

9- पी.डब्ल्यू. 7, मधुसूदन सिंह, विवेचना अधिकारी हैं, जो कठघरे में उपस्थित हुए और बताया कि नक्शा-नजरी उनके द्वारा तैयार किया गया था और एकत्र की गई सभी वस्तुएं अर्थात् मिट्टी आदि और कपड़े उनके द्वारा एकत्र किए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आनंद वेंकटचलम और पड़ोस में रहने वाले अन्य व्यक्तियों, यथा पृथ्वी राज सिंह और मंजू सिंह के बयान लिए थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह ही थे जिन्होंने प्रश्नगत स्थल से मुसल और ब्लेड एकत्र किया था। इसके पश्चात, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में उस तरीके का वर्णन किया जिससे उन्होंने विवेचना की थी। उन्होंने बताया कि बरामद वस्तुओं के साथ पैट, जींस, बेलन, मुसल और ब्लेड को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा गया था और उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें अभियुक्त के उंगलियों के निशान भी मिले थे। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने उन बरामद वस्तुओं को भी सिद्ध किया जो न्यायालय कक्ष में प्रदर्शित की गई थीं। अपनी प्रति-परीक्षा में, एक विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने पर कि राम बहादुर सिंह, जिन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था, का बयान कब लिया गया था, तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह अगले दिन अर्थात् 17.8.2005 को लिया गया था। प्रति-परीक्षा में वह अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों पर अडिग रहे। हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, कभी भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई और न्यायालय में कभी सिद्ध नहीं की गई।

10- तत्पश्चात, धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त से प्रश्न पूछे गए। उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जिन्हें अंकित किया गया।

11- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के पास अपराध कारित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि वस्तुएं उस तरीके से चोरी की गई थीं, जैसा कि वर्णित किया गया है, तो वस्तुओं की चोरी से पहले मृतका ने कुछ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिरोध दिखाया होता, लेकिन मृतका के शरीर पर मौजूद चोटों से ऐसा स्पष्ट नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हत्यारे ने केवल मृतका की हत्या की थी, जिसके लिए कोई कारण स्पष्ट नहीं था। साथ ही, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि एक कंपनी का मालिक, इस तरह की छोटी चोरियों में लिप्त नहीं होगा।

12- विचारण पूर्ण होने पर और अपीलार्थी को धारा 302/34, 394 और 411 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए 16.5.2015 को निर्णय पारित होने पर, वर्तमान आपराधिक अपील दायर की गई है।

13- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम तिवारी ने तर्क दिया कि जब वाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य का था और वहां बिल्कुल भी कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं था, तो **शरद बिर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1984 एससी 1622** में प्रतिवेदित किए गए निर्णय के अनुसार कड़ियों को पूरा किया जाना चाहिए था। उन्होंने श्रेणीबद्ध रूप से उन पांच सिद्धांतों की ओर संकेत किया जिनका कड़ी को पूरा करने से पहले पालन किया जाना था। वे पांच सिद्धांत यहां निम्नानुसार उद्धृत किए जा रहे हैं:

"1. वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए।

2. इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए।

3. परिस्थितियाँ निर्णयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

4. उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त हर संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए।

5. साक्ष्य की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए, जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह प्रदर्शित करे कि पूरी मानवीय संभावना में यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

14- वर्तमान वाद में, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया है कि भले ही पी.डब्ल्यू.- 4 और 5 श्री पाल और राम बहादुर सिंह ने बताया था कि उन्होंने अभियुक्त को घर से बाहर आते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी समय यह नहीं बताया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त साक्ष्य थे अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि अपीलार्थी ने अपराध कारित किया था और उसके बाद वह घर से बाहर आया था। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो मुसल बरामद किया गया था, उसे भले ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट कभी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं की गई और कभी सिद्ध नहीं की गई, और इसलिए, हत्यारे द्वारा हत्या करने के लिए उपयोग किए गए मुसल के साथ एकमात्र जोड़ने वाला साक्ष्य कभी सामने नहीं आया। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि केवल संदेह के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है।

15- प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक त्रिपाठी और विद्वान एजीए श्री सी.बी. धर दुबे ने अपील का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि यदि इस तथ्य के संबंध में साक्ष्य था कि अभियुक्त अन्य सह-अभियुक्त, यथा विमल शुक्ला के साथ बाहर आ रहा था, तो इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य था कि उन्होंने घर के भीतर मृतका की हत्या की थी और उसके बाद वे अपराध कारित करने के बाद बाहर आए थे। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि इससे बहुत कम फर्क पड़ता है कि मुसल आदि की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि यदि पाया गया मुसल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था और वहां पाया जाना सिद्ध भी हुआ था, तो यह एक साक्ष्य था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया था। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जब अभियुक्त विचारण में सभी दोषारोपणकारी साक्ष्यों का सामना कर रहा था, तब भी उसके पास यह बताने का पूरा अवसर था कि उसने अपराध कारित नहीं किया था।

16- सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान एजीए ने विशेष रूप से प्रश्न संख्या 12 और 14 के साथ उनके उत्तरों पर भरोसा किया, जिन्हें यहाँ निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:

प्रश्न नं०12 अभियोजन पक्ष की ओर से निरीक्षक मधुसूदन सिंह को पी०डब्लू०-7 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने ने घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान एक अदद मूसल पत्थर व एक ब्लेड कब्जा पुलिस लेकर उसकी तैयार कराये जाने व ड्रेस पर अपने हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जिस पर प्रदर्शक-15 डाला गया व रामबहादुर का बयान पेपर नं० 26 को सिद्ध किया है, जिस पर प्रदर्शक-16 डाला गया? इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- जी गलत है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रश्न न 14 अभियोजन साक्षी सं० 7 मधुसूदन सिंह ने बड़े बण्डल को न्यायालय में खोलने पर उसके कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-22, खाकी रंग के कागज के गते वस्तु प्रदर्शक 23, बड़े वण्डल के अंदर से निकले छोटे सीलकवर बण्डल के कपड़े वस्तु प्रदर्श-24, पत्थर के ठोस मूसल पर वस्तु प्रदर्श-25 तथा लकड़ी के बेलन पर वस्तु प्रदर्श-5, खाकी रंग के लिफाफे पर वस्तु प्रदर्श-6, अखबारी कागज पर वस्तु प्रदर्श-7, ब्लेड पर वस्तु प्रदर्श-8, कपड़ा पर वस्तु प्रदर्श-9, शर्ट पर वस्तु प्रदर्श-10, शैन्डो बनियाइन पर वस्तु प्रदर्श-11. सादा फर्श पर वस्तु प्रदर्श-12. डिब्बी टीनों परी वस्तु प्रदर्श-13 कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-14, खूलआलूदा फर्श पर वस्तु प्रदर्श-15, टीन की डिब्बी पर वस्तु प्रदर्श-16, कपड़े के बण्डल पर वस्तु प्रदर्श-17, मृतका के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श-18, हाफ ब्लाउच पर वस्तु प्रदर्श-19, पेटिकोट पर वस्तु प्रदर्श-20 व साड़ी पर वस्तु प्रदर्श 21 को सिद्ध किया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर- जी गलत सिद्ध कराया गया है।

17- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम तिवारी, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक त्रिपाठी और विद्वान एजीए श्री सी.बी. धर दुबे को सुनने के बाद, हमारा यह विचार है कि साक्ष्यों को देखने के पश्चात वास्तव में अभियुक्त को दोषी नहीं पाया जा सका। जब प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एक-दूसरे से नहीं जुड़ सके, तो दोष स्थापित नहीं किया जा सका। भले ही अभियुक्तों को घर से बाहर आते देखा गया था, लेकिन मृतका की हत्या के लिए उनके द्वारा मुसल का उपयोग करना स्थापित नहीं हुआ था। पी.डब्ल्यू.- 4 और 5 ने भले ही अभियुक्त को उस घर से बाहर आते देखा हो जहाँ अपराध घटित हुआ था, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह वही व्यक्ति था, जिसने अपराध कारित किया था और उसके बाद घर से बाहर आया था। एकमात्र साक्ष्य जो अभियुक्त को उस मुसल से जोड़ सकता था जिससे अपराध कारित किया गया था, वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट थी और यह विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कभी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी और इस प्रकार कभी सिद्ध नहीं की गई।

18- ऐसी परिस्थितियों में, हमारा यह विचार है कि जब वह कड़ी, जो यह सिद्ध करती कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था जो मृतका की हत्या के लिए उत्तरदायी था, लुप्त थी, तो अपील को स्वीकार किया जाना था। अतः, अपील स्वीकार की जाती है। अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



संख्या 1, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.5.2015 को रद्द किया जाता है और अपास्त किया जाता है। यदि अपीलार्थी की किसी अन्य वाद में आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

19- तदनुसार, आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

9 फरवरी, 2026

पी.के.